न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010044932026

Sessions Case/2262/2026

State of U.P. Vs. Arjun

सत्र परीक्षण संख्या– 2262/2026

सरकार बनाम अर्जुन

मु0अ0सं0 24/2026

अं० धारा 333,75,351(3),64(2)(एम), 65(2) बी.एन.एस.

व 5एल./6, 5एम./6 पोक्सो एक्ट

थाना– हाफिजपुर, जिला हापुड ।

13.08.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अर्जुन जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । विवेचक द्वारा अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध धारा 333, 75, 351(3), 64(2)(एम) बी.एन.एस. व 5एल./6 पोक्सो एक्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु पत्रावली/केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 65(2) बी.एन.एस. व 5एम./6 पोक्सो एक्ट के अधीन भी आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 01.09.2026 को पेश हो । अभियेाजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)

दि0 13.08.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/

हापुड।

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.08.17 15:44:17 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010044932026

Sessions Case/2262/2026
State of U.P. Vs. Arjun
सत्र परीक्षण संख्या– 2262/2026

सरकार बनाम अर्जुन , मु0अ0सं0 24/2026

अं० धारा 333,75,351(3),64(2)(एम), 65(2) बी.एन.एस.

व 5एल./6, 5एम./6 पोक्सो एक्ट

थाना– हाफिजपुर, जिला हापुड ।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त अर्जुन पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि 04.02.2026 को समय शाम करीब 07.00 ग्राम शाब्दीपुर बहद थाना हाफिजपुर, जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' उम्र करीब 18 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से गृह अतिचार कर ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 333 बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' का लैंगिक उत्पीडन कर ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 75 बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः:– यह कि तहरीर दिनांकित 04.02.2026 एवं केस डायरी के अनुसार पिछले करीब 7 वर्ष से शाब्दीपुर बहद थाना हाफिजपुर, जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' उम्र करीब 18 वर्ष (यानि घटना के प्रारम्भ के समय उम्र करीब 11 वर्ष यानि 12 वर्ष से कम), से बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 65(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमत: ::– यह कि तहरीर दिनांकित 04.02.2026 एवं केस डायरी के अनुसार पिछले करीब 7 वर्ष से शाब्दीपुर बहद थाना हाफिजपुर, जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' उम्र करीब 18 वर्ष (यानि घटना के प्रारम्भ के समय उम्र करीब 11 वर्ष यानि 12 वर्ष से कम), से कई बार बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 64(2)एम के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमत::– यह कि तहरीर दिनांकित 04.02.2026 एवं केस डायरी के अनुसार पिछले करीब 7 वर्ष से शाब्दीपुर बहद थाना हाफिजपुर, जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' उम्र करीब 18 वर्ष (यानि घटना के प्रारम्भ के समय उम्र करीब 11 वर्ष यानि 12 वर्ष से कम), से कई बार बलात्संग/लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5–एल/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

सप्तमत::– यह कि तहरीर दिनांकित 04.02.2026 एवं केस डायरी के अनुसार पिछले करीब 7 वर्ष से शाब्दीपुर बहद थाना हाफिजपुर, जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री/ पीडिता ''ए'' उम्र करीब 18 वर्ष (यानि घटना के प्रारम्भ के समय उम्र करीब 11 वर्ष यानि 12 वर्ष से कम), से बलात्संग/लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5–एम/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 13.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 13.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।